



सर्वोच्च न्यायालय द्वारा AFSPA के तहत आपराधिक मामलों पर रोक लगाना

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधनियम, 1958, अशांत क्षेत्र, सर्वोच्च न्यायालय (SC), संसद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधनियम, 1976

मुख्य परीक्षा के लिये:

AFSPA की नरितरता, मानवाधिकार संबंधी निहितारथ, अन्य वकिलप, पक्ष और विपक्ष में तरक्त तथा AFSPA के दीरघकालिक परणिम।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने नागालैंड में नागरिकों की कथति हत्या के आरोपियों (विशेष बल के 30 सैन्य कर्मियों) के खलाफ FIR को रद्द करने के साथ सभी को कार्रवाही से मुक्त कर दिया है।

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने इन कर्मियों के खलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने से मना कर दिया।

नोट:

- AFSPA अधनियम के क्रयान्वयन को नागालैंड के आठ ज़िलों और अरुणाचल प्रदेश के तीन ज़िलों में छह महीने (1 अक्टूबर 2024 से) के लिये बढ़ा दिया गया है।
 - यह विस्तार दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थितिकी समीक्षा के बाद किया गया है ताकि विवरणीय बनाए रखने के साथ "अशांत" क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की कार्रवाइयों को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- गृह मंत्रालय के अनुसार पूर्वोत्तर के 70% राज्यों से AFSPA हटा लिया गया है लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह अभी भी लागू है तथा जम्मू-कश्मीर में भी इसे हटाने पर विचार किया जा रहा है।

इस मामले के मुख्य तथ्य और सर्वोच्च न्यायालय का नियम?

- पृष्ठभूमि:**
 - इस घटना में सेना के जवानों द्वारा सही पहचान न कर पाने के कारण वर्ष 2021 में नागालैंड में नागरिकों की मौत हुई थी।
 - सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधनियम, 1958** की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) की मंजूरी के अभाव के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने आगे की कानूनी कार्रवाही पर रोक लगा दी थी।
 - इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने घटना में शामिल सैन्यकर्मियों के खलाफ आपराधिक कार्रवाही को रोक दिया तथा सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी दिये जाने पर कार्रवाही को पुनः शुरू करने की संभावना पर सहमति जिताई।
- विधिक प्रावधान:**
 - AFSPA की धारा 6: इसके द्वारा अधनियम के तहत की गई कार्रवाइयों के संबंध में सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बनी अधनियम के तहत की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों के लिये किसी भी व्यक्ति के खलाफ कोई अभियोजन, मुकदमा या अन्य कानूनी कार्रवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधनियम (AFSPA), 1958 क्या है?

■ पृष्ठभूमि:

- ब्रटिश औपनविशकि सरकार ने **भारत छोड़ो आंदोलन** को शांत करने के लिये 15 अगस्त, 1942 को सशस्त्र बल वशीष अधिकार अध्यादेश लागू किया था।
 - इसके परणिमस्वरूप कई अध्यादेश पारति हुए, जिसमें वभिजन-परेति आंतरकि सुरक्षा चुनौतियों से नपिटने के लिये वर्ष 1947 में लागू किये गए "असम अशांत क्षेत्रों" के लिये एक अध्यादेश भी शामिल था।
- नागा हलिस में अशांतिको दूर करने के लिये असम अशांत क्षेत्र अधिनियम, 1955 के बाद सशस्त्र बल (असम और मणपुर) वशीषाधिकार अधिनियम, 1958 को लागू किया गया।
 - व्यापक अनुपर्योग हेतु अधिनियम को **AFSPA द्वारा प्रत्यक्षिप्ति किया गया था।**

■ परचिय:

- पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हसिया की प्रतिक्रिया में AFSPA को संसद द्वारा 11 सितम्बर 1958 को पारति किया गया था।
 - इसके द्वारा "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बलों को व्यापक अधिकार प्रदान किये गए हैं।
- **AFSPA** के तहत सशस्त्र बलों और "अशांत क्षेत्रों" में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलसि बलों को कानून के उल्लंघन करने वाले कसी भी व्यक्ति को मारने, गरिफ्तारी करने और वॉरंट के बनाए कसी भी परसिर की तलाशी लेने के लिये काफी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और इसमें केंद्र सरकार की सर्वीकृतिके बनाए अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा सुनिश्चिति की गई है।
- राज्य और केंद्र सरकार, **AFSPA** के संबंध में अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
- अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड राज्यों के लिये गृह मंत्रालय समय-समय पर "अशांत क्षेत्र" की अधिसूचना जारी करता है।

AFSPA के अंतर्गत वर्णनि अशांत क्षेत्र क्या हैं?

- **AFSPA** की धारा 3 के तहत अधिसूचना द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसे उन स्थानों पर लागू किया जा सकता है जहाँ नागरकि शांति के लिये सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है।
- इस अधिनियम में वर्ष 1972 में संशोधन किया गया और कसी क्षेत्र को "अशांत" घोषित करने की शक्तियाँ राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई।
 - वभिन्न धार्मिक, नसलीय, भाषायी या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के सदस्यों के बीच मतभेद या विवादों के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता है।
- केंद्र सरकार, या राज्य के राज्यपाल या केंद्रशासति प्रदेश के प्रशासक पूरे राज्य या केंद्र शासति प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं।
 - **अशांत क्षेत्र (वशीष नयायालय) अधिनियम, 1976** के अनुसार, एक बार 'अशांत' घोषित होने के बाद कसी क्षेत्र को लगातार तीन महीने की अवधि के लिये अशांत बनाए रखा जाता है।
 - राज्य सरकार यह सफिराशि कर सकती है कि राज्य में इस अधिनियम की आवश्यकता है या नहीं।

AFSPA पर समतियाँ और उनकी सफिराशि क्या हैं?

- **जीवन रेडी समतिकी सफिराशि:** नवंबर 2004 में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा के लिये नयायमूरत बी पी जीवन रेडी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समतिगठित की। इस समतिकी प्रमुख सफिराशि इस प्रकार थी:
 - AFSPA को नरिस्त किया जाना चाहिये और इस संदर्भ में उचित प्रावधानों को **गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** में शामिल किया जाना चाहिये।
 - सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से नरिदिष्ट करने हेतु गैर-कानूनी गतविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम को संशोधित किया जाना चाहिये।
 - प्रत्येक ज़िले में (जहाँ सशस्त्र बल तैनात हैं) शक्तियात प्रकोष्ठ स्थापति किये जाने चाहिये।
- **द्वतीय ARC की सफिराशि:** लोक व्यवस्था पर **द्वतीय प्रशासनकि सुधार आयोग (ARC)** की 5वीं रपोर्ट में भी AFSPA को नरिस्त करने की सफिराशि की गई है। हालाँकि इन सफिराशियों को लागू नहीं किया गया है।
- **संतोष हेगडे आयोग की सफिराशि:**
 - AFSPA की अनविरयता सुनिश्चिति करने तथा इसके मानवीय पहलुओं को वसितारति करने के लिये प्रत्येक 6 माह में इसकी समीक्षा की जानी चाहिये।
 - आतंकवाद से नपिटने के लिये केवल AFSPA पर निभर रहने के बजाय UAPA अधिनियम में संशोधन करना चाहिये।
 - सशस्त्र बलों द्वारा अपने करत्तव्यों के नरिवहन के दौरान की जाँच की अनुमति (यहाँ तक कि "अशांत क्षेत्रों" में भी) देना चाहिये।

भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हसिया के क्या कारण हैं?

- **बहु-जातीय वविधिता:** यह भारत का सर्वाधिक जातीय वविधिता वाला क्षेत्र है जहाँ लगभग 40 मलियन लोगों के साथ 635 जनजातीय समूहों में से 213 रहते हैं।
 - प्रत्येक जनजातिकी एक अलग संस्कृति होने के कारण आम समाज के साथ इनके एकीकरण में प्रतरिएध होने से सांस्कृतिक पहचान के नष्ट होने की चिन्ता रहती है।
- **आरथकि वकिस का अभाव:** सरकारी नीतियों से इस क्षेत्र में आरथकि वकिस सीमति होने के परणिमस्वरूप रोजगार के अवसर सीमति रहे हैं।
 - इस आरथकि वकिस के विनियनता से कई युवा बेहतर संभावनाओं की तलाश में वदिरोही समूहों में शामिल होने के लिये प्ररेति होते हैं।
- **जनसांख्यकीय परविरतन:** बांग्लादेश से शरणारथियों के आगमन के कारण इस क्षेत्र के जनसांख्यकीय परदृश्य में बदलाव आया है, जिससे

असंतोष पैदा होने एवं उग्रवाद को बढ़ावा मिलने के साथ इस क्षेत्र में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जिसका गठन आप्रवासी वर्गीयी भावनाओं की प्रतीक्रिया में किया गया) जैसे समझौतों का गठन हुआ।

- सेना की कथति ज्यादतयाँ: AFSPA के कार्यान्वयन की आलोचना होने के साथ इससे स्थानीय लोगों में अलगाव पैदा हुआ है और विद्रोही समूहों द्वारा इसका दुष्प्रचार किया जाता है।
 - मणपुर की इरोम शर्मला चानू ने पूर्वोत्तर में AFSPA के प्रयोग का वरिध करने तथा इसे हटाने की मांग को लेकर 16 वर्षों तक अनशन किया।
 - पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थरिता: बांग्लादेश और म्यांमार की अस्थरिता से उत्तर-पूर्व में सुरक्षा गतशीलता और अधिक जटिल होने के कारण उग्रवाद की समस्या को बढ़ावा मिला है।
 - बाह्य समर्थन: ऐतिहासिक रूप से पूर्वोत्तर में विद्रोही समूहों को पड़ोसी देशों से समर्थन प्राप्त होता रहा है।
 - पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) ने 1950 और 1960 के दशक में इस क्षेत्र के उग्रवादी समूहों को प्रशिक्षण और हथियार उपलब्ध कराए, जबकि चीन ने अपनी कूटनीतिक विदेश नीति के तहत वर्ष 1967 से 1975 तक ऐसे समूहों को सहायता प्रदान की।

आगे की राह

- आपसी समन्वय और आत्मविश्वास का नरिमाण: स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और सरकार तथा लोगों के बीच समन्वय के अंतराल को कम करने के क्रम में बॉटम टू टॉप एप्रोच का शासन मॉडल अपनाना चाहयि।
 - शांति समझौतों को प्राथमिकता देना: AFSPA को निरस्त करने के क्रम में पूरव शर्त के रूप में विद्रोही समूहों के साथ शांति समझौते कथि जाने की आवश्यकता है, जिसमें उचित पुनर्वास और सहायता तंत्र भी शामिल होना चाहयि।
 - बेहतर कनेक्टिविटी: पूर्वोत्तर में बुनियादी ढाँचे के विकास और कनेक्टिविटी में सुधार करने के क्रम में इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता देनी चाहयि।
 - मानवाधिकारों का पालन: इस क्षेत्र में मानवाधिकारों का पालन सुनिश्चित करने के साथ आतंकवाद वरिधी अभियानों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहयि, जिससे सुरक्षा उपायों की परभावशीलता और वैधता को बढ़ावा मिल सकेगा।

भारत के प्रश्नोत्तर क्षेत्र में AFSPA के नहितिरथों का विशिलेषण करते हुए सुरक्षा, मानवाधिकार एवं शासन के संदर्भ में इसके प्रभावों पर प्रकाश डालयि

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

???:

प्रश्न. मानवाधिकार सक्रियतावादी लगातार इस विचार को उजागर करते हैं कि सशस्त्र बल (वशिष्ठ शक्तयाँ) अधनियम, 1958 (AFSP) एक करूर अधनियम है, जिससे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधिकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रियतावादी वरिध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा बूझकर विचार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-halts-criminal-cases-under-afspa>